

माननीय उच्च न्यायालय के परिपत्र सं० 25/एडमिन (ए) दिनांकित 13.07.1998 के निर्देश के आलोक में आपत्ति के अनुरूप विवरण निम्नवत दिये जा रहे हैं—

1— सेवा में ज्वाइन करने की तिथि 18.04.2009 है।

2— ग्रास सैलरी (2,64,499/—रूपये) तथा टेक होम सैलरी (2,38,089/—रूपये)।

3— निल

4— निल

5— निल

6— निल

7— सम्पत्ति का विवरण इस प्रकार है— भूमि खसरा सं० 1903 क्षेत्रफल 87.360 वर्गमीटर आवासीय भूमि पर स्थित 195 वर्गमीटर क्षेत्रफल अर्द्धनिर्मित मकान, स्थित मोहल्ला/गांव—पारा, परगना आलमनगर, तहसील सदर लखनऊ, जिला लखनऊ। चौहद्दी—पूरब 18 फिट चौड़ी सड़क, पश्चिम अन्य व्यक्ति का मकान, उत्तर अन्य व्यक्ति की भूमि, दक्षिण 20 फिट चौड़ी सड़क स्थित है।

8— विक्रेती का नाम श्रीमती प्रभा देवी पत्नी श्री सत्यप्रकाश पाण्डेय, 112 बी०, नाउ टोला, जिला गोण्डा, पिन 271503।

9— हां।

10— विक्रेती से अधोहस्ताक्षरी का कोई सम्बन्ध नहीं है और न ही उनका कोई भी वाद कभी भी अधोहस्ताक्षरी के समक्ष लम्बित रहा है और न ही कभी निर्णित किया गया है।

11— उक्त अर्द्धनिर्मित मकान वर्तमान स्थिति में रूपये मु०— 45,00,000/— में विक्रय करने की सम्मति विक्रेती द्वारा नोटरी के माध्यम से दी गयी है। साथ ही भूतल को रहने योग्य पूर्ण कराकर रूपये मु०— 55,00,000/— में तैयार करने की सम्मति विक्रेती द्वारा नोटरी के माध्यम से दी गयी है। द्वितीय न्यायिक वेतन आयोग के संस्तुतियों को लागू करने के उपरान्त प्राप्त बकाया धनराशि लगभग 14,00,000/—रूपये (चौदह लाख रूपये) अधोहस्ताक्षरी के बचत खाते में पूर्व में प्राप्त हो चुकी थी। इसी बीच एच०डी०एफ०सी० बैंक के द्वारा फाईल नं० 701864130/P24556 के माध्यम से 50,00,000/—रूपये (पचास लाख रूपये) के हाउस लोन की 8.50 प्रतिशत के ब्याज से 15 वर्ष के लिये 180 किस्तों में प्रति किस्त 49,237/—रूपये के दर से भुगतान की शर्त पर स्वीकृति प्रदान की गयी है। इसी मध्य भत्तों के सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय के आल इंडिया जजेज एसोसिएशन बनाम भारत संघ समादेश याचिका सिविल संख्या 643/2015 में पारित निर्णय दिनांक 04.01.2024 के अनुपालन में माह मार्च में लगभग 32,00,000/—रूपये (बत्तीस लाख रूपये) अधोहस्ताक्षरी को प्राप्त बकाया धनराशि सैलरी एकाउण्ट सं. 30747825102 में प्राप्त हुयी है।